# प्रदेशीय शिक्षा-दल अधिनियम, १९५८

[उ० प्र० अधिनियम संख्या ३९, १९५८]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १५ सितम्बर, १९५८ ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक २५ नवम्बर, १९५८ ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

[भारत संविधान के अनुच्छेद २०० के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ ई० को प्रकाशित हुआ]

प्रदेशीय शिक्षा-दलों के संघटन की व्यवस्था करने का

## अधिनियम

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द, समाज-सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम प्रदेशीय शिक्षा-दल अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह टेहरी-गढ़वाल को छोड़कर समस्त जिलों के मुख्यवासी नगरों में तथा टेहरी नगर में तुरन्त प्रचलित होगा । उत्तर प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकेंगे ।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "सैनिक दल" (corps) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन संघटित प्रदेशीय शिक्षा-दल;

(ख) "प्रविष्ट" (enrolled) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट;

(ग) "अधिकारी" (officer) का तात्पर्य है धारा ६ के अधीन नियुक्त अधिकारी;

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत;

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक २८ जून, १९५७ ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये]

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात शिक्षण संस्था जिसमें कक्षा ११ व १२ की शिक्षा दी जाती हो;

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार; और

(छ) "कैडेट" से तात्पर्य है उस छात्र से जो इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट किया गया हो।

राज्य शिक्षा सैनिक दलों का संघटन।

३—(१) राज्य सरकार द्वारा एक सैनिक दल (corps) का आयोजन, संघटन तथा सम्पोषण होगा और इसका नाम प्रदेशीय शिक्षा-दल होगा।

(२) सैनिक दल में एक या एक से अधिक इकाइयां होंगी और किसी इकाई में ऐसी संस्था अथवा संस्थाओं के छात्र भरती किये जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करती हो या हों और जिसका या जिनका नाम राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे।

(३) राज्य सरकार नियत रीति से इस प्रकार संघटित किसी भी इकाई (unit) को विघटित अथवा पुनस्संघटित कर सकती है।

प्रवेश (enrolment)

४—नियत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञापित प्रत्येक संस्था की कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का प्रत्येक बालक (male) छात्र, जो नियत आयु से कम का न हो, सैनिक दल में प्रविष्ट किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत अधिकारी किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ्य, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर, जो नियत किया जाय, प्रवेश से मुक्त कर सकता है।

कृत्य (Functions)

५—प्रत्येक कैडेट कवायद (drill) करने के लिये तथा आयुध-प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज-सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन (discharge) करेगा जो नियत किये जायं।

छात्राओं की इकाइयां बनाने का अधिकार।

६—इस संबंध में नियत शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार छात्राओं की इकाइयां भी संघटित कर सकती है।

उन्मुक्ति (discharge)

७—सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक कैडेट संस्था की, जिससे वह सम्बद्ध हो, उपस्थिति पंजी (roll) में उसका नाम न रहने पर सैनिक दल से उन्मुक्त कर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रविष्ट कैडेट, उन शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, किसी भी समय नियत अधिकारी द्वारा सैनिक दल से उन्मुक्त किया जा सकता है।

परामर्शदात्री समिति।

८—राज्य सरकार प्रदेशीय शिक्षा-दल के संघटन व प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति संघटित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(१) शिक्षा मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे,

(२) उपमंत्री, शिक्षा,

(३) शिक्षा सचिव,

(४) शिक्षा संचालक,

(५) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायगा,

(६) संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(७) विधान मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो विधान सभा द्वारा और एक विधान परिषद् द्वारा चुने जायेंगे,

(८) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि,

(९) दो गैर-सरकारी सदस्य जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(१०) सैनिक शिक्षा निर्देशक जो समिति के सेक्रेटरी होंगे।

अधिकारियों की नियुक्ति।

९--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त--

(क) एक सैनिक शिक्षा निर्देशक,

(ख) एक या एक से अधिक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देशक,

(ग) एक या एक से अधिक कमान्डेंट, सहायक कमान्डेंट, क्वार्टर मास्टर तथा स्टाफ इन्स्ट्रक्टर, तथा

(घ) अन्य अधिकारी तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारिवर्ग, जिनको आवश्यकता हो,

समय-समय पर नियुक्त कर सकती है।

अधिकार और कर्त्तव्य।

१०--(१) सैनिक शिक्षा निर्देशक तथा प्रत्येक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा कमान्डेंटों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (supervision and superintendence) ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो नियत किये जायं।

(२) कोई भी कमान्डेंट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अथवा तदधीन निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अथवा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

इस अधिनियम के अधीन अपराध तथा दंड।

११--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम क अधीन निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है ऐसे दंड का भागी होगा, जो नियत किया जाय।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों से रक्षा।

१२--(१) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या अन्य विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुई अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)।

१३--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में नियत करे, प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं।

प्रकीर्ण।

१४--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना अथवा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजनाओं के अधीन निर्मित कोई नियम, दी गयी कोई आज्ञा अथवा दिया गया कोई निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन नियत, निर्मित, प्रचारित अथवा दिया गया हो तथा वह तदनुसार निरस्त, प्रत्यावर्तित, परिवर्तित अथवा संशोधित (repealed, revoked, varied or amended) किया जा सकता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सैनिक शिक्षा तथा समाज-सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना के अधीन प्रविष्ट कोई व्यक्ति अथवा नियुक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट अथवा नियुक्त बना रहेगा और प्रविष्ट अथवा नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में उल्लिखित समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना तथा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना से तात्पर्य क्रमशः उसी नाम से इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजना से है।

नियम बनाने का अधिकार।

१५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है--

(१) वे शर्तें, जिनके अनुसार किसी संस्था में इस अधिनियम के अधीन इकाई (unit) संघटित की जा सकेगी;

(२) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की अथवा व्यक्तियों के वर्गों की अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें;

(३) वह रीति, अवधि और शर्तें जिनके अधीन रहते हुये कोई भी व्यक्ति सैनिक दल में प्रविष्ट किया जा सकेगा;

(४) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के निमित्त समाज-सेवा तथा सैनिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम (courses) तथा उनके पदादि;

(५) सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना;

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य;

(७) सैनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों को देय भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(८) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति का हटाया जाना अथवा उन्मुक्ति (removal or discharge);

(९) इस अधिनियम के अधीन अपराधों तथा दंडों का निर्धारण तथा अपराधों के संबंध में दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की रीति;

(१०) वर्दी तथा पदों क बिल्ले (badges of ranks) जो विद्यार्थियों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक हों; तथा

(११) अन्य एसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने .
थाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रक्खे
ं और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।